

20/8
24

पसावली का यह निर्णय कि इसे चुनी गयी
व्यक्त व विधिक प्राधान्य पर मजबूत किया
गया। उक्त प्रकार से सम्बन्धित मूल
कामों को खारिज हो चुकी है। इस: आन्दोलन
कारण स्वयं का कोई अधिकार नहीं
है। इस: पक्षों का आन्दोलन कारण स्वयं
को खारिज किया जाता है पसावली
केवल मुक्त होकर वास्तविक रूप से ही

प
सावली